

HARYANA ORDINANCE NO. 1 OF 2023

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

AN

ORDINANCE

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

Short title. 1. This Ordinance may be called the Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2023.

Amendment of section 10 of Haryana Act 24 of 1973. 2. In section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973,-  
(i) in sub-section (3), for the figures, brackets, sign and word “(1), (2) and (4)”, the figures, brackets and word “(1) and (2)” shall be substituted;  
(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-  
“(4) (a) The seats shall be reserved for the Backward Classes ‘A’ in every municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that municipality as one-half of the proportion of Backward Classes ‘A’ population to the total population in that municipality and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more; and such seats shall be allotted by draw of lots among three times of the number of seats, proposed for reservation of

Backward Classes 'A', after excluding those seats already reserved for Scheduled Castes, drawn from those seats which are having the largest percentage population of Backward Classes 'A' and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that the municipality shall have at least one member belonging to the Backward Classes 'A' if their population is two per centum or more of the total population of the municipality:

Provided further that where the number of seats so reserved for Backward Classes 'A' under this sub-section added to the number of seats reserved for the Scheduled Castes exceeds fifty per centum of the total number of seats in that municipality, then the number of seats reserved for the Backward Classes 'A' shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the seats reserved for the Backward Classes 'A' and Scheduled Castes not exceeding fifty per centum of the total seats in that municipality.

Explanation.- (1) For the purposes of reservation of Backward Classes 'A' under this sub-section, the population of the municipal area and the population of Backward Classes 'A' in that municipality shall be such as drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the State Government.

Explanation.- (2) For the purposes of the second proviso, fifty per centum of the total seats in the municipality shall be taken as one-half of the total seats of the municipality rounded up to the next higher integer where the decimal

value is 0.5 or more or rounded down to the next lower integer where the decimal value is less than 0.5.

- (b) Not less than one-third of the total number of seats reserved under this sub-section shall be reserved for women belonging to the Backward Classes 'A' and such seats may be allotted by rotation and by lots amongst the wards reserved under this sub-section.”;
- (iii) in sub-section (5), for the words “Backward Classes”, the words, sign and alphabet “Backward Classes 'A' ” shall be substituted;
- (iv) in sub-section (7), the sign, brackets and figure “, (4)” shall be omitted.

DATED: CHANDIGARH

GOVERNOR OF HARYANA

THE , 2023

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023  
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,  
1973, को आगे संशोधित  
करने के लिए  
अध्यादेश

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अध्यादेश हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023, कहा जा सकता है।

1973 के 2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में,—  
हरियाणा  
अधिनियम 24  
की धारा 10  
का संशोधन।

(i) उप-धारा (3) में, “(1), (2) तथा (4)” कोष्ठकों, अंकों, चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, “(1) तथा (2)” कोष्ठक, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी,  
अर्थात्:-

“(4) (क) प्रत्येक नगरपालिका में, पिछड़े वर्ग ‘क’ के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ‘क’ की जनसंख्या के अनुपात की आधा होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को

निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में भी चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित की जाएंगी:

परन्तु नगरपालिका में कम से कम एक सदस्य, पिछड़े वर्ग 'क' से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगरपालिका की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है:

परन्तु यह और कि जहाँ इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्ग 'क' तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगरपालिका में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.— (1) इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगरपालिका में पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।

व्याख्या.— (2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों हेतु, नगरपालिका में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहां दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च

पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दशमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगरपालिका की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी।

(ख) इस उप-धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'क' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।";

(iii) उप-धारा (5) में, "पिछड़ा वर्गों" शब्दों के स्थान पर, "पिछड़े वर्ग 'क' " शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उप-धारा (7) में, ",(4)" चिह्न, कोष्ठकों तथा अंक का लोप कर दिया जाएगा।

.....